भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 228
02 फरवरी 2024 को उत्तर के लिए

हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड

228. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड में 473.295 एकड़ की संपूर्ण रक्षा भूमि पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा कच्चा पक्का-मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों से हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड पर बाड़ के साथ चार दीवारी खड़ा करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)/ सक्षम प्राधिकरी की अनुमति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड के और अतिक्रमण को रोकने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) : जी नहीं । हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड की कुल 473.295 एकड़ रक्षा भूमि में से लगभग 279 एकड़ के क्षेत्र पर वर्तमान में अतिक्रमण किया गया है। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत संपदा अधिकारी द्वारा सभी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अंतिम बेदखली आदेश भी जारी किए गए हैं। हाल में 60.05 एकड़ के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और दिनांक 11.01.2024 को रक्षा संपदा अधिकारी (डीइओ), दानापुर द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है।

(ग) और (घ): जी, हां। रक्षा मंत्रालय को हथवा (सबेया) परित्यक्त एयरफील्ड पर बाड़ के साथ चार दीवारी खड़ा करने हेतु डॉ. आलोक कुमार सुमन, माननीय संसद सदस्य से दिनांक 06.11.2023 के पत्र के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा दिनांक 13.11.2023 के पत्र के तहत अनिवार्य शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन अपेक्षित अनुमति प्रदान की गई है ।

*****